भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 3547**

03.04.2017 को उत्‍तर के लिए

**वन क्षेत्र में खनन का प्रभाव**

3547. श्री के॰ सी॰ राममूर्तिः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वन क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों ने देश के विभिन्न भागों में जैव विविधता को बुरी तरह प्रभावित नहीं किया है;

(ख) क्या वन क्षेत्रों में खनन संबंधी गतिविधियों को अनुमति देने से पहले मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय संबंधी मंजूरी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार होती है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कोई छूट प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के जीव-जंतुओं और वनस्पतियों को न्यूनतम नुकसान हो/उनके साथ कम से कम छेड़-छाड़ हो, मंत्रालय द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) जीहां । देश के विभिन्‍न भागों में वन क्षेत्रों में कार्यकलाप जैवविविधता को प्रभावित करते हैं। तथापि, जैवविविधता पर कार्यकलापों के प्रभाव के संबंध में कोई देश व्‍यापी अध्‍ययन नहीं किया गया है।

(ख) मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सभी पर्यावरणीय स्‍वीकृतियां, पर्यावरण प्रभाव मूल्‍यांकन अधिसूचना, 2006 के अनुसार होती हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

(घ) उपरोक्‍त (ग) में दिए गए उत्‍तर के आलोक में प्रश्‍न नहीं उठता।

(ड.) सरकार द्वारा देश में वन क्षेत्रों में खनन कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. खनन प्रयोजनों सहित वनेत्‍तर प्रयोजनार्थ वन भूमि के उपयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्‍द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्‍द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति की अपेक्षा कर रहे प्रस्‍तावों की जांच को प्रभावी, दक्ष और पारदर्शी रीति से सुकर बनाने के लिए केन्‍द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्‍य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के स्‍तर, दोनों पर एक व्‍यापक कार्यतंत्र स्‍थापित किया गया है।

2. केन्‍द्रीय सरकार **निम्‍नलिखित मामलों में से सभी अथवा किसी भी एक पर विधिवत विचार करते हुए** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन हेतु अनुमोदन प्रदान करती है अथवा निरस्‍त करती है:

(क) क्‍या वनेत्‍तर प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जाने वाली वन भूमि किसी प्रकृति रिजर्व, राष्‍ट्रीय उद्यान, वन्‍यजीव अभयारण्‍य, जैवमंडल रिजर्व अथवा किसी संकटापन्‍न अथवा संकटाग्रस्‍त प्राणिजात और वनस्‍पति जात का पर्यावास अथवा गंभीर रूप से अपरदित आवाहक्षेत्र के किसी क्षेत्र का भाग है;

(ख) क्‍या राज्‍य सरकार अथवा किसी अन्‍य प्राधिकरण ने यह प्रमाणित किया है कि इसने सभी अन्‍य विकल्‍पों पर विचार कर लिया है और परिस्थिति विशेष में कोई अन्‍य विकल्‍प व्‍यवहार्य नहीं है और अपेक्षित क्षेत्र प्रयोजन के लिए न्‍यूनतम आवश्‍यक क्षेत्र है; और

(ग) क्‍या राज्‍य सरकार अथवा कोई अन्‍य प्राधिकरण समान क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण के लिए और उस पर वनीकरण के लिए अपनी स्‍वयं की लागत पर भूमि प्रदान करता है।

3. केन्‍द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय, उपयुक्‍त प्रशमन उपाय, जैसे प्रतिपूरक वनीकरण का सृजन एवं रखरखाव, अपवर्तित वन भूमि की निबल वर्तमान मूल्‍य की वसूली, वन्‍यजीव संरक्षण योजना का कार्यान्‍वयन (जहां भी आवश्‍यक हो) खनित्र क्षेत्र का चरण-वार पुनरूद्धार करना, खनन पट्टे की सीमाओं का सीमांकन *आदि* का प्रावधान करती है। केन्‍द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन की एक प्रति इसे पब्लिक डोमेन में रखने के लिए मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड की जाती है।

4. यदि किसी मामले में, प्रस्‍ताव में वन्‍यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित सुरक्षित क्षेत्र के भीतर अवस्थित वन भूमि का अपवर्तन शामिल है, तब वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व संबंधित उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा राष्‍ट्रीय वन्‍यजीव बोर्ड (एनबीडब्‍ल्‍यूएल) की स्‍थायी समिति और माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय का अनुमोदन प्राप्‍त किया जाना अपेक्षित है। इसी के समान, यदि अपवर्तन हेतु प्रस्‍तावित वन भूमि, सुरक्षित क्षेत्र की सीमा के इई-गिर्द अधिसूचित पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के भीतर अवस्थित है, तब परियोजना की ईआईए को एनबीडब्‍ल्‍यूएल की स्‍थायी समिति के समक्ष प्रस्‍तुत किए जाने की आवश्‍यकता है। यदि पारिस्थितिकीय रूप संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया गया है, तब ऐसे सुरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में समझा जाएगा। एनबीडब्‍ल्‍यूएल की स्‍थायी समिति वन्‍यजीवों पर ऐसी परियोजनाओं के प्रभाव को न्‍यूनतम बनाने के लिए अतिरिक्‍त सुरक्षोपाय निर्धारित करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्‍त सुरक्षोपाय पहले से ही विद्यमान है कि खनन के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन यह निर्धारित करने के बाद तभी प्रदान किया जाता है कि अपवर्तित की जाने वाली वन भूमि अत्‍यंत कम है और वनेत्‍तर/खनन प्रयोजनार्थ, इसका अपवर्तन अपरिहार्य है।

\*\*\*\*\*